तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4835/2005/दौसा रमेश चन्द बनाम कजोड मल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-12-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने विवादित आराजियात बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर आदेश दिनांक 24-09-2004 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या-1 लगायत 4 ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 08-12-2004 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादी प्रार्थी की ओर यह निगरानी मण्डल के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4835/2005/दौसा रमेश चन्द बनाम कजोड मल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत पूर्व वाद का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया जाकर केवल मात्र अधिवक्ता वादी की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने के आधार पर खारिज किया गया था। उनका कथन है कि अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने पर विचारण न्यायालय का यह दायित्व है कि वे पक्षकार को नोटिस जारी कर सूचित करे। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने के आधार पर खारिज करने से पूर्व उनके पक्षकार को न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर वाद के खारिज होने के उपरान्त नवीन वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नही ंहोता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विधिसम्मत् आदेश से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4835/2005/दौसा रमेश चन्द बनाम कजोड मल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय को बहाल किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-01-2001 से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत नवीन वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित होगा। उनका कथन है कि वादी प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उनका कथन है कि पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद की विषय वस्तु एवं पक्षकार समान है तथा चाहा गया अनुतोष भी समान होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी बाबत् वादीगण प्रार्थी की ओर से घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4835/2005/दौसा रमेश चन्द बनाम कजोड मल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–2008 से अधिवक्ता वादी की ओर हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने के आधार पर खारिज किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ववर्ती वाद गुणावगुण पर खारिज नही किया जाकर केवल मात्र हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने के आधार पर खारिज किया गया। इस प्रकार के तकनीकी आधार पर वाद के खारिज हो जाने के उपरान्त पश्चात्वर्ती वाद में रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्ववर्ती वाद गुणवगुण के आधार पर निर्णीत नहीं हुआ है। विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि घोषणा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में घोषणा, बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय से निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय दिनांक 08–12–2004 निरस्त किया जाता है तथा उप जिला कलक्टर, बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4835/2005/दौसा रमेश चन्द बनाम कजोड मल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24-09-2004 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	